

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मु.नं 93/17 तारीख 2 जू 19.7.17

उजवान - दुर्गा बनाम गुलाब वैष्णु असरो

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निवेशाज्ञा


पादीकी और से सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निवेशाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 के तहत पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जाकर दिनांक 25/7/17 को पेश हो।

4120-27  
19.7.17

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम


25.7.17

वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री रमेश चंद लुही A.W. ने उपस्थिति दर्ज कराई। प्रतिवादी नं. 7 & 8 बावजूद सूचना उपर नहीं, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 2 ला. 6 के सम्मन भद्रम तालील प्राप्त हुए हैं। काले पुनः तलबी प्रतिवादी नं. 2 ला. 6 व कालतनामा एवं जबर प्रतिवादी नं. 1 दि. 7.9.17 को पेश हो।

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

7.9.17

वकुलाप उप. गतानुसा (पुनः तलबी क्राने व जबर पेश करे दिनांक 4.10.17 को पेश हो।

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम


## न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

3.12.18 वादी वकील उपर। प्रतिवादी नं. 1 के कायम मुकाम की दल व जारिस पेश करने की रिदायत के साथ एक मौदा दिा जाता है दिनांक 24.12.18 को पेश हो।

24.12.18

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है कई बार कल-कल का डावाज दिलवाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है।  
 शतः यह दावा अदम हाजिरी अदम चैरकी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तरे हो।

  
 उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)

